



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 826]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 9, 2017/आश्विन 17, 1939

No. 826]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 9, 2017/ASVINA 17, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि. 1229(अ).—कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम, जिन्हें केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड के साथ परामर्श से केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 23 नवम्बर, 2016 में भारत सरकार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1083(अ), तारीख 9 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिनमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जबकि उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 23 नवम्बर, 2016 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और जबकि उक्त अधिसूचना के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेप या सुझाव पर सम्यक्तः विचार कर लिया गया था ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कीटनाशी नियम 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कीटनाशी नियम, 1971 नियम 9 के उप-नियम (4ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“4(ख) कोई व्यक्ति, जो विनिर्माण के लिए आवेदन करता है, निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता रखेगा या व्यक्ति को नियोजित करेगा:-

- (i) तकनीकी ग्रेड कीटनाशकों के विनिर्माण के लिए रसायन या कृषि रसायन या कृषि रासायनिक में डॉक्टरेट या रासायनिक इंजीनियरी में तकनीकी मास्टर या मास्टर विज्ञान या समतुल्य ;
- (ii) कीटनाशक विनिर्मिति के विनिर्माण के लिए एक विषय के रूप में रसायन या कृषि रसायन या कृषि रासायनिक के साथ विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य :

परंतु कीटनाशी (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 की अधिसूचना को विनिर्माण अनुज्ञप्ति रखने वाले व्यक्ति को शैक्षिक अर्हता का अनुपालन करने के लिए दो वर्ष की अवधि अनुज्ञात की जाएगी।”

[फा. सं. 13035/28/2014-पीपी-I (वॉल. IV)]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 1650(अ), तारीख 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित के द्वारा संशोधन किए गए थे:

1. सा.का.नि. 474(अ), तारीख 24 जुलाई, 1976,
2. सा.का.नि. 736(अ), तारीख 9 दिसम्बर, 1977,
3. सा.का.नि. 1064(अ), तारीख 7 नवम्बर, 1988,
4. सा.का.नि. 533(अ), तारीख 6 अगस्त, 1993,
5. सा.का.नि. 371(अ), तारीख 20 मई, 1999,
6. सा.का.नि. 372(अ), तारीख 20 मई, 1999,
7. सा.का.नि. 586(अ) तारीख 12 अगस्त, 1999
8. सा.का.नि. 548(अ), तारीख 12 सितम्बर, 2006,
9. सा.का.नि. 692(अ), तारीख 7 नवम्बर, 2006,
10. सा.का.नि. 128(अ), तारीख 26 फरवरी, 2009,
11. सा.का.नि. 174(अ), तारीख 5 मार्च, 2010,
12. सा.का.नि. 474(अ), तारीख 11 जुलाई, 2013,
13. सा.का.नि. 797(अ), तारीख 13 नवम्बर, 2014,
14. सा.का.नि. 840(अ), तारीख 5 नवम्बर, 2015,
15. सा.का.नि. 164(अ), तारीख 15 फरवरी, 2016,
16. सा.का.नि. 794(अ), तारीख 12 अगस्त, 2016,
17. सा.का.नि. 79(अ), तारीख 27 जनवरी, 2017 और,
18. सा.का.नि. 106(अ), तारीख 01 फरवरी, 2017 ।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2017

G.S.R. 1229(E).—Whereas the draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), in consultation with the Central Insecticides Board, was published in the notification of the

Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare) vide G.S.R. 1083(E), dated the 9th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section-3, Sub-section (i), dated the 23rd November, 2016, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 23rd November, 2016;

And whereas, objection or suggestion received from the public were duly considered in respect of the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Insecticides (Third amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971, in rule 9, for sub-rule (4B), the following shall be substituted namely:—

“(4B) A person who applies for manufacturing licence shall possess or shall employ a person possessing the following educational qualification: —

- (i) Doctorate in chemistry or agriculture chemistry or agriculture chemicals or Master of Technology or Master of Science in chemical engineering or equivalent for manufacture of technical grade pesticides; or
- (ii) Master degree in science with chemistry or agricultural chemistry or agriculture chemicals or equivalent as one of the subject for manufacture of pesticide formulation:

Provided that a person possessing a manufacturing licence on the date of notification of the Insecticides (Third Amendment) Rules, 2017 shall be allowed a period of two years to comply with the educational qualification”.

[F. No. 13035/28/2014-PP-I (Vol. IV)]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, Sub-section (i) vide No. G.S.R. 1650(E), dated 19th October, 1971 and subsequently amended *vide*:—

1. G.S.R. 474(E), dated 24th July, 1976,
2. G.S.R. 736(E), dated 9th December, 1977,
3. G.S.R. 1064(E), dated 7th November, 1988,
4. G.S.R. 533(E), dated 6th August, 1993,
5. G.S.R. 371(E), dated 20th May, 1999,
6. G.S.R. 372(E), dated 20th May, 1999,
7. G.S.R. 586 (E), dated 12th August, 1999
8. G.S.R. 548(E), dated 12th September, 2006,
9. G.S.R. 692(E), dated 7th November, 2006,
10. G.S.R. 128(E), dated 26th February, 2009,
11. G.S.R. 174(E), dated 5th March, 2010,
12. G.S.R. 474(E), dated 11th July, 2013,
13. G.S.R. 797(E), dated 13th November, 2014,

14. G.S.R. 840(E), dated 5th November, 2015,
15. G.S.R. 164(E), dated 15th February, 2016
16. G.S.R. 794 (E), dated 12th August, 2016
17. G.S.R.79(E), dated 27th January, 2017 and
18. G.S.R. 106(E), dated 1st February, 2017.